वार्षिक 200/- रुपये जून 2026 वर्ष 28 अंक 08 पृष्ठ - 28 मूल्य 20/-रु.

गोसम्पदा

"खेत बचाओ अभियान" का निहितार्थ

सम्पादकीय

"खेत बचाओ अभियान" का निहितार्थ

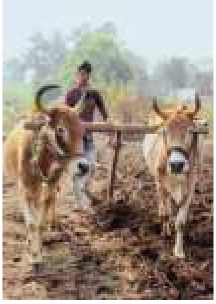

केंद्र सरकार द्वारा गत 01 जून से **"खेत बचाओ अभियान"** का शुभारंभ किया गया है। यह 'अभियान' आखिर क्यों प्रारंभ किया गया? यह कहना अधिक समीचीन है कि केंद्र सरकार को विवश होकर यह अभियान शुरू करना पड़ा, क्योंकि रासायनिक खाद के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता निरंतर घटती जा रही है, जबकि दूसरी ओर खेती में लागत बढ़ती जा रही है। अनेक राज्यों में यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस संदर्भ में 'पंजाब' की दयनीय होती जा रही स्थिति से सभी लोग भलीभांति अवगत हैं। इस राज्य में एक बड़े अनुपात में भूमि बंजर होने के साथ ही हजारों–हजार लोग **'कैंसर'** जैसे असाध्य रोग से ग्रसित हो चुके हैं और यह संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस जटिल समस्या का मूल कारण **"रासायनिक खाद" के साथ ही विदेशी नस्ल की गायों के उत्पादों, विशेषरूप से दूध (A1) का उपयोग किया जाना है।**

उल्लेखनीय है कि पंजाब से एक ट्रेन बीकानेर (राजस्थान) तक जाती है, जिसका उपनाम लोगों ने **"कैंसर एक्सप्रेस"** रख दिया है, क्योंकि उस ट्रेन से बड़ी संख्या में **"कैंसर रोगी"** बीकानेर जाते हैं, जहां पर 'कैंसर' का बड़ा चिकित्सालय है। वास्तव में सम्पूर्ण देश में **"विदेशी गायों और रासायनिक खाद"** की वजह से यह स्थिति भयावह रूप धारण करती जा रही है। इसीलिए हालात की गंभीरता को देखते हुए ही केंद्र सरकार द्वारा उक्त 'अभियान' आरंभ किया गया है। हालांकि इस 'अभियान' में जन जागरण की दृष्टि से केवल **'रासायनिक खाद'** के अधिक उपयोग से होने वाली हानि के प्रति लोगों को सावधान किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से कहें या अज्ञानता से या जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक **'विदेशी गायों'** का दूध उपयोग किये जाने से होने वाले दुष्परिणामों के संदर्भ में लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। यह गलती नहीं, अक्षम्य अपराध है, जिसकी ओर केंद्र सरकार को त्वरित ध्यान देना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है।

सच तो यह है कि एक समय ऐसा था जब आध्यात्मिक–अहिंसक राष्ट्र (पूर्व में) भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार था गोवंश और गोवंश आधारित खेती। वस्तुतः आदिकाल से ही भारत आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टि से कृषि प्रधान देश रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में राजा– महाराजाओं और ऋषि–मुनियों ने भी अपनी अर्थव्यवस्था का मूलाधार गोवंश तथा खेती को ही माना था। इस पद्धति –परंपरानुसार जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक संख्या में **गोधन** होता था, उसके आधार पर ही उस व्यक्ति का मान–सम्मान होता था और उसे विशेष उपाधि से भी सम्मानित किया जाता था। इसी कारण ऋषि–मुनियों के आश्रमों में शिष्यों को सर्वप्रथम गोवंश को वन में ले जाकर चराने का कार्य दिया जाता था। गोवंश–चराने के दौरान ही उन्हें गोवंश की सेवा–संवर्धन–संरक्षण और पालन का व्यावहारिक ज्ञान स्वाभाविकरूप से प्राप्त होता जाता था। आवश्यक होने पर उन्हें हर प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इसीलिए गाय–गोवंश के महान योगदान के कारण ही **भारतभूमि "सूवर्ण भूमि"** कहलाती रही, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में **"सोने की चिड़िया"** कहा गया। अतः गाय की महनीय भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए ही उसे **"गोमाता"** की उपाधि से सम्मानित–विभूषित किया गया है। सत्यतः तो गोवंश आधारित खेती इस देश की आर्थिक रीढ़ रही है। तत्संबंधित ग्रामोद्योग अपनी वंशगत विशेषज्ञता के कारण बेरोजगारी को पनपने देने में बहुत बड़े अवरोधक रहे हैं। इस दृष्टिकोण से इसी अर्थशास्त्र के सहारे देश की उदीयमान तरुण पीढ़ी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो सकती है और धन–धान्य तो किसान ही पैदा करता है, वह भी गोवंश के आधार पर। इसलिए किसानों को गोवंश का महत्व समझाने के साथ ही उन्हें खेती के लिए भूमि व गोवंश उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। उन्हें हर प्रकार की शासकीय मदद तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिस दिन किसान की समझ में यह आ जाएगा कि बिना दूध के भी गोवंशपालन अतिशय लाभकारी है, उसी दिन से गोवंश आधारित कृषि की पद्धति प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार गोमाता (गोवंश) की रक्षा के साथ ही देश का समृद्धशाली और मंगलकारी नवनिर्माण हो सकता है। अतः गोवंश आधारित जीवनशैली अपनाना अपरिहार्य है, अन्य कोई विकल्प नहीं।

(सम्पादक)

गोसम्पदा

वर्ष – 28 अंक-08 जून – 2026 पृष्ठ – 28

संरक्षक :
हुकुमचंद सावला जी

दिनेश उपाध्याय जी
अखिल भारतीय गोरक्षा प्रमुख
संकट मोचन आश्रम, सै. 6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–22
मो. : 9644642644
ईमेल : gosampada@gmail.com

सम्पादक : देवेन्द्र नायक
संकट मोचन आश्रम, सै. 6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–22
मो. : 8130049868
ईमेल : gosampada@gmail.com

परामर्शदाता : प्रो. गुरुप्रसाद सिंह जी
मो. : 9838900596

प्रकाशक : राजेन्द्र प्रसाद सिंहल जी
मो. : 9810055638

प्रचार-प्रसार प्रमुख : डॉ. नरेश शर्मा जी
9811111602

व्यवस्थापक : रामानन्द यादव
मो. : 9958710672

साज-सज्जा : सुमन कुमार

वैधानिक सूचना
'गोसम्पदा' से संबन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 माह के अंदर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में मान्य होंगे

सहयोग राशि
एक प्रति : रु. 20/–
वार्षिक : रु. 200/–
आजीवन : रु. 2000/–

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
ऊर्जा के अनन्त स्रोत गोवंश की उपेक्षा : भारत के विकास में घातक	04
13 मई 2026 की अधिसूचना	06
तमिलनाडु में गोवंश–हत्या पर प्रतिबंध बनाम 'सनातन' विरोध	09
गोमाता और ज्योतिष	12
गोसेवा–रक्षा ही है ईश्वर की पूजा	14
पुरुषोत्तम मास में गोसेवा का माहात्म्य	17
श्रीकृष्ण के जीवन में गोमाता का महत्व	18
''खेत बचाओ अभियान'' अर्थात मृदा हो स्वस्थ : धरती फिर उगले सोना	20
National seminar on Indigenous Cows Highlights Cultural, Scientific and Economic Significance	21
The Gentle Heartbeat : Why The Cow Remains the Soul of India	22
Kamdhenu : The Divine Cow and the Revered Ideal of Motherhood in Indian Culture	24

हार्दिक निवेदन

सभी गोभक्त—गोप्रेमी बंधुओं से करबद्ध अनुरोध है कि वे इस पत्रिका का सदस्य अवश्य बनें और अन्य गोभक्तों को भी सदस्य बनायें। कृपया सभी लोग अपना वार्षिक अथवा आजीवन सदस्यता शुल्क निम्नलिखित बैंक व खाता नंबर में जमा कराएं—

पंजाब नेशनल बैंक, बसंत लोक, नई दिल्ली
खाता नम्बर – 04072010038910
IFSC CODE : PUNB0040710

नोट : शुल्क **"भारतीय गोवंश रक्षण संवर्द्धन परिषद"** के नाम पर जमा करें। सम्पर्क सूत्र : 011—26174732

राजेन्द्र सिंहल (प्रकाशक)

ऊर्जा के अनन्त स्रोत गोवंश की उपेक्षा भारत के विकास में घातक

भारत अनादिकाल से कृषि प्रधान के साथ–साथ औद्योगिक प्रधान देश रहा है। यहां का समुद्री परिवहन विश्व में सर्वश्रेष्ठ था, इसीलिए आज से 225 वर्ष पूर्व विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत के आसपास थी। भारत के गांव सशक्त, सुसम्पन्न, आत्म निर्भर व धनाढ्य थे। प्रत्येक गांव में शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। उच्च शिक्षा के लिये बड़े स्थानों पर विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालन्दा–तक्षशिला आदि थे। भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण, प्रशिक्षण, अध्ययन, शोध का लोहा समस्त विश्व मानता था। विदेशी छात्र भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कालान्तर में मुस्लिम आक्रान्ताओं व तदुपरान्त अंग्रेज शासकों ने ग्राम आधारित अर्थ व्यवस्था को नष्ट–भ्रष्ट कर दिया। ऊर्जा के अन्नत स्रोत गोवंश की उपेक्षा होने लगी। अंग्रेजों ने अनेक कत्लखाने मांसाहार के लिए बनवा दिये। उत्तम गोवंश नष्टप्रायः हो गया, जो अभी तक अवैध रूप से चोरी छिपे जारी है। इतना सब होने के उपरान्त भी स्वतन्त्र भारत में 1961–62 में पशु जनित ऊर्जा 30.63 मीलियन किलोवाट कृषि कार्य के लिए उपलब्ध थी। कुल कृषि ऊर्जा उपलब्ध 39.99 मीलियन किलोवाट थी जो कृषि क्षेत्र में प्रयोग की जाती थी। वर्ष 2024–25 आते–आते पशु जनित ऊर्जा घटकर 12.83 मीलियन किलोवाट रह गई तथा कृषि ऊर्जा खर्च बढ़कर 550.82 मीलियन किलोवाट हो गई। संक्षेप में कृषि जगत में ऊर्जा खर्च 14 गुणा बढ़ गया, जबकि पशु जनित ऊर्जा 40 प्रतिशत अर्थात 2/5 भाग रह गई। देखें टेबल–

• Farm power availability (in million KW)

	Animate	Mechanical	Electrical	Total Power
1961–62	36.47(30.63)	2.56(0.97)	0.96	39.99
1971-72	37.79(31.46)	14.66(4.38)	6.42	58.88
1981-82	35.45(27.82)	32.90(13.86)	13.12	81.47
1991-92	35.85(26.52)	58.65(31.11)	32.12	126.63
2001-02	33.44(22.53)	107.56(70.32)	50.32	191.32
2011-12	33.29(20.14)	167.26(118.76)	61.79	262.34
2024-25	24.50(12.83)	416.23(285.53)	110.09	550.82

Note: * Figures in brackets are power from draught animals :
** Figures in brackets are power from tractors.
Source:S.P.Singh ,Surender Singh And K.P. Saha
ICAR: Central Institute of Agriculture Engineering

पशुजनित ऊर्जा का भाग कृषि क्षेत्र में घटने से निम्न दुष्प्रभाव भारतीय अर्थ व्यवस्था में हुए–

1. भारतवर्ष का केन्द्रीय उर्वरक सब्सिडी बजट 26–27 का रु. 1.71 लाख करोड़ हो गया, जिसका और बढ़ने का अनुमान है।

2. पशुजनित ऊर्जा कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने से मानव श्रम की बहुत आवश्यकता होती थी। एक अनुमान के अनुसार एक ट्रैक्टर 10 से 12 व्यक्तियों का रोजगार छीन लेता है। भारत में बेरोजगारी, अर्ध रोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी के कारण अनेक सामाजिक समस्यायें जन्मीं। जैसे–नशाखोरी दुष्कर्म आदि।

3. कृषि क्षेत्र में रासायनिक खाद प्रयोग होने से भूमि की उर्वरा शक्ति दिन–प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है।

4. कृषि क्षेत्र में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है। रासायनिक व टैक्ट्रर युक्त खेती में गोवंश आधारित कृषि से तीन से चार गुणा पानी उपज प्राप्त करने के लिये खर्च करना पडता है।

5. कृषि उत्पाद अन्न, साग, सब्जी, फल, दुग्ध आदि में रासायनिक खादों के प्रयोग व विषैले कीटनाशकों के कारण जहरीले हो गये हैं व कृषि उपज की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है। मानव स्वास्थ्य का बजट दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है।

उपरोक्त तत्थों का गहराई से चिन्तन–मनन एवम विश्व में युद्धों को देखते हुऐ भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों पर गहराई से अध्ययन, चिन्तन–मनन करना चाहिए एवं बैल चालित ऊर्जा एवम गोवंश आधारित कृषि पर शोध व अनुसंधान करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि पर बेहतर कार्य कर रहा है परन्तु आध्यात्मिक व भौतिक ऊर्जा के अन्नत स्रोत गोवंश का स्वतन्त्र भारत में भी तिरस्कार, निरादर, उपेक्षा हो रही है। उर्वरक सब्सिडी के यदि 25 प्रतिशत हिस्से को भी ईमानदारीपूर्वक गोवंश के विकास शोध में 5 से 10 वर्ष तक खर्च किया जाये तो भारत पुनः विकास की नई ऊचाइयां अपनी सभ्यता–संस्कृति, मानबिन्दुओं के अनुसार प्राप्त करके विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है।

आवश्यकता है प्रमाद त्याग कर सत्य सनातन संस्कृति के आर्थिक पक्ष पर चिन्तन, मनन, अध्ययन कर व्यवहार में लागू करने की।

समीक्षा /// **अधिवक्ता शशांक शेखर (क्षेत्रीय गोरक्षा प्रमुख)**

13 मई 2026 की अधिसूचना
पश्चिम बंगाल में गोवंश संरक्षण कानूनों का वास्तविक क्रियान्वयन प्रारंभ

वर्ष 2026 की बकरीद से ठीक पहले 13 मई 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक अधिसूचना जारी की गई। प्रथम दृष्टया यह एक सामान्य प्रशासनिक आदेश प्रतीत हो सकता है, किन्तु वस्तुतः यह पश्चिम बंगाल में गोवंश संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में वर्षों बाद उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिसूचना में पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950 के विभिन्न प्रावधानों को सार्वजनिक रूप से पुनः अधिसूचित किया गया तथा नागरिकों, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि राज्य में पशुवध केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।

अधिसूचना के अनुसार किसी भी बैल, बछड़े, गाय, भैंस या अन्य संरक्षित पशु की हत्या तब तक नहीं की जा सकती जब तक उसके लिए विधिसम्मत प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया जाए। यह प्रमाणपत्र भी केवल तभी जारी किया जा सकता है जब सरकारी पशु चिकित्सक और स्थानीय निकाय के अधिकृत पदाधिकारी संयुक्त रूप से यह लिखित राय दें कि पशु या तो 14 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा स्थायी रूप से कार्य करने में अक्षम हो चुका है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि पशुवध केवल अधिकृत बूचड़खानों

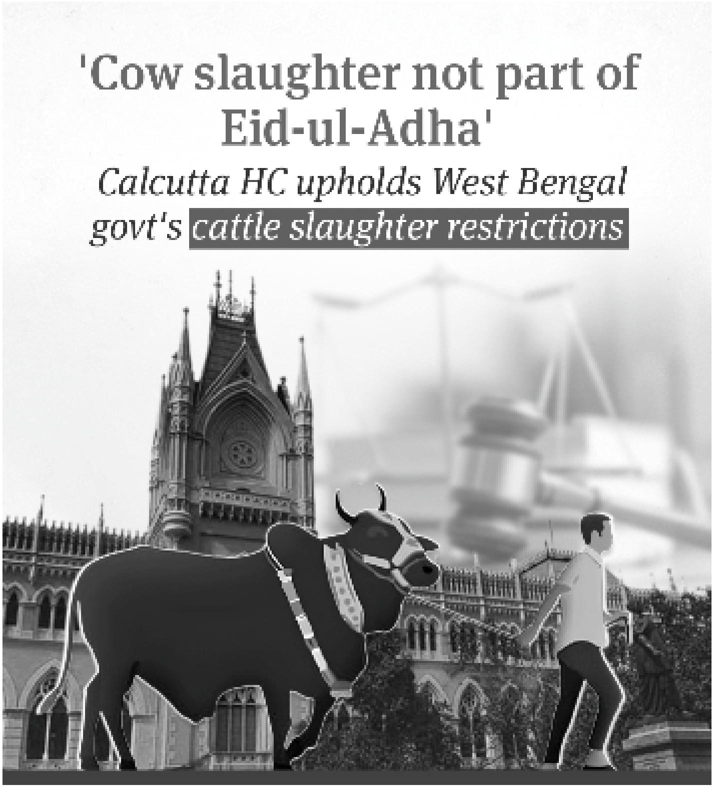

में ही किया जा सकेगा तथा खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का पशुवध प्रतिबंधित रहेगा। कानून के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध घोषित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान दोहराया गया।

गोवंशरक्षा संगठनों के लिए यह अधिसूचना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से यह शिकायत की जाती रही थी कि पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950 केवल कागजों तक सीमित रह गया है और उसका वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो रहा। पहली बार राज्य सरकार ने स्वयं सार्वजनिक रूप से इन प्रावधानों को पुनः लागू करने की घोषणा की।

कलकत्ता उच्च न्यायालय : जब न्यायपालिका ने कानून के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाया–अधिसूचना जारी होते ही अनेक व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं द्वारा इसे चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। विभिन्न याचिकाओं में यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है तथा पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950 की व्याख्या गलत तरीके से करती है। इन याचिकाओं में रामकृष्ण पाल, मोहम्मद जफर यासीन, मोहम्मद शकील वारसी, वेस्ट बंगाल स्टेट जमीयत–ए–उलेमा, ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन तथा अन्य संगठनों की याचिकाएं भी सम्मिलित थीं।

21 मई 2026 को माननीय मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद अधिकांश याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 13 मई 2026 की

> **न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय Mohd-Hanif Quareshi vs State of Bihar का उल्लेख करते हुए कहा कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी को अनिवार्य धार्मिक आवश्यकता नहीं माना गया है। दूसरे शब्दों में, यदि राज्य गोसंरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाता है तो उसे केवल धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।**

अधिसूचना कोई नया कानून नहीं है, बल्कि पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जारी की गई है। इसलिए इसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्ष 2018 में राजश्री चौधरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में जो आदेश पारित किए गए थे, वे अंतिम रूप से प्रभावी हो चुके हैं और उनकी वैधता पर अब पुनः प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

गाय की कुर्बानी और "Essential Religious Practice" का प्रश्न

इस पूरे निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला भाग वह है जिसमें ***न्यायालय ने अपने पूर्व आदेशों को दोहराते हुए कहा कि गाय की कुर्बानी ईद–उल–अजहा (बकरीद) का आवश्यक धार्मिक अंग नहीं है।*** न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय Mohd-Hanif Quareshi vs State of Bihar का उल्लेख करते हुए कहा कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी को अनिवार्य धार्मिक आवश्यकता नहीं माना गया है। दूसरे शब्दों में, यदि राज्य गोसंरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाता है तो उसे केवल धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।

यह टिप्पणी इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकों से इस विषय पर सामाजिक और कानूनी बहस चलती रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, किन्तु यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य वैध कानूनों के अधीन है।

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन

इस वर्ष बकरीद के दौरान पश्चिम बंगाल में जो वातावरण दिखाई दिया, वह पिछले वर्षों से कुछ भिन्न था। पहली बार गोवंश संरक्षण, पशु तस्करी और कानून के अनुपालन

का प्रश्न सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में आया।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने भी लगातार गोवंश तस्करी, गोवंश संरक्षण और अधिसूचना के क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया। बकरीद के अवसर पर उनके द्वारा गोवंश सेवा संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेना तथा गौशालाओं का दौरा करना भी व्यापक चर्चा का विषय बना। गोवंश रक्षा संगठनों का मानना है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और न्यायिक निगरानी इसी प्रकार बनी रहती है तो आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल, जो कभी पशु तस्करी के प्रमुख गलियारों में गिना जाता था, वहां स्थिति में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

बिहार के लिए सबक

पश्चिम बंगाल का यह घटनाक्रम बिहार सहित अन्य राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता। कानून को लागू करने की राजनीतिक इच्छा, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और न्यायिक संरक्षण भी आवश्यक होता है। जब पश्चिम बंगाल में न्यायालय के निर्देशों के आधार पर विस्तृत अधिसूचना जारी हो सकती है, तब बिहार में भी इसी प्रकार की व्यापक जन–जागरूकता, प्रशासनिक निर्देश और कठोर क्रियान्वयन की अपेक्षा स्वाभाविक है। गोवंश संरक्षण कार्यकर्ताओं की यही अपेक्षा है कि बिहार में भी गोवंश संरक्षण को केवल चुनावी मुद्दा न मानकर संवैधानिक और सांस्कृतिक दायित्व के रूप में देखा जाए, ताकि गोवंश तस्करी, अवैध पशुवध और पशु क्रूरता की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

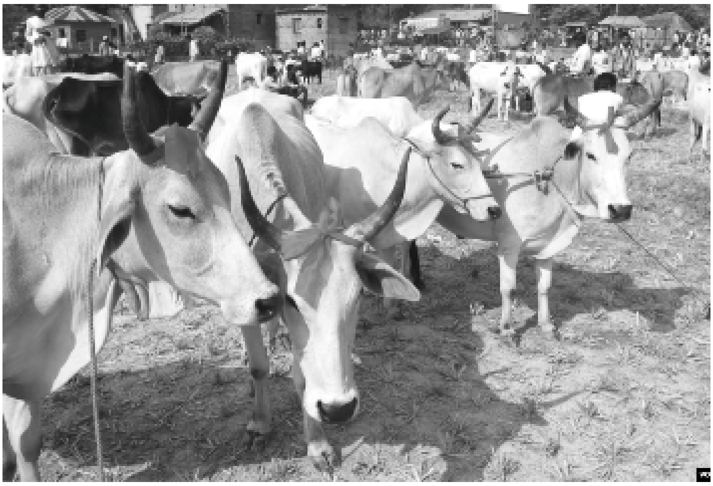

दिल्ली में गोरक्षा विभाग की विभागशः बैठक संपन्न

नई दिल्ली स्थित रोहणी में गत माह गोरक्षा विभाग की क्षेत्रीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई तथा माननीय पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

पूजा पाराशर (कवयित्री, स्वतंत्र लेखिका)

तमिलनाडु में गोवंश-हत्या पर प्रतिबंध बनाम 'सनातन' विरोध

देश का एक ऐसा राज्य जहाँ सदैव देश की संस्कृति और संस्कार को मिटाने व हटाने के मुद्दे उठते आए हैं। इन मुद्दों से समाज का कोई लेना–देना नहीं, ये मात्र राजनीतिक स्तर पर बने रहते हैं। ऐसे राज्य में एकाएक भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु कड़े नियम लागू कर दिए जाते हैं तो इस बात की पुनः पुष्टि हो जाती है कि ***"पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता जरूर है।"*** ये सनातन भारत भूमि जिसने हमें पाला–पोषा, उसके प्रति यदि कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सकते तो उस पर आघात करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। अंततः इसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। ऐसे राज्य में अब एक बड़े परिवर्तन की उम्मीद जागी है। सरकार बदलते ही तमिलनाडु राज्य में नए परिवर्तन देखने को मिलने लगे हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट लौटने लगी है।

निरंतर सनातन विरोधी शब्दों से आघात तमिलनाडु राज्य में एक बड़ा निर्णय सामने आया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 27 मई, 2026 को तमिलनाडु सरकार को एक ऐतिहासिक निर्देश देते हुए पूरे राज्य में गोवंश–हत्या पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह राज्य में दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 30 अगस्त, 1976 को जारी किए गए सरकारी आदेश को सख्ती से लागू करे। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ ने यह आदेश "इन्दु मक्कल काची" के युवा विंग के सचिव के. सूर्या प्रशांत (29) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में शिकायत की गई थी कि बकरीद के दौरान कोयंबटूर में कई जगहों पर गायों

की हत्या के लिए अवैध रूप से अस्थायी शैड बनाए गए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि पिछले बकरीद त्योहार पर देश के कई स्थानों पर गोवंश हत्याएँ की गईं (बलि का बकरा अथवा बलि की गाय, गोसम्पदा, जुलाई, 2025, पृ.6—8)। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी.एम.के.) सरकार और सनातन परंपराओं के बीच वैचारिक टकराव पहले से ही चरम पर है।

तमिलनाडु की राजनीति में हाल के वर्षों में पिछली सरकार, विशेषरूप से मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा **'सनातन धर्म'** को लेकर की गई अनुचित टिप्पणियाँ राष्ट्रवादी विवाद का कारण बनी थीं। पिछली सरकार और उनके मंत्रियों ने **सनातन धर्म की तुलना "मलेरिया, डेंगू और कोरोना" जैसी बीमारियों** से करते हुए इसे पूरी तरह समाप्त करने की बात की थी। *12 मई, 2026 को विधानसभा में सम्बोधन देते हुए उदयनिधि स्टालिन ने पुनः सनातन विरोधी मुद्दा उठाते हुए कहा कि 'सनातन, जिसने सभी लोगों को बाँटा है उसे खत्म कर देना चाहिए।' इन बातों से स्पष्ट होता है की ये अज्ञानी हैं, जिन्हें 'सनातन' का अर्थ तक नहीं मालूम। इस प्रकार की राजनीति को भारतीय संस्कृति और मूल्यों का विरोधी माना जाएगा।*

अब, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा गोवंश के संरक्षण को लेकर दिए गए फैसले ने इस वैचारिक जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। सनातन परंपरा में गाय "गोमाता" को पूजनीय और सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ माना गया है। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने इस सांस्कृतिक और सनातनी संबंध को रेखांकित करते हुए अपने आदेश में कहा कि 'संविधान सभा में हुई बहसों के दौरान भी इस बात पर बल दिया गया था कि गाय एक पूजनीय प्राणी है और भगवान कृष्ण के समय से ही यह हमारी सभ्यता—संस्कृति से जुड़ी हुई है।' न्यायालय का यह तर्क सीधे तौर पर सनातनी और सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता देता है। इस प्रकार न्यायालय ने उसी सनातन संस्कृति की प्रतीक **"गाय"** के संरक्षण को संवैधानिक और ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य ठहराया है।

न्यायालय ने केवल गायों ही नहीं, बल्कि अन्य पशुओं की हत्या को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि "तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023" के तहत, संबंधित अधिकारियों को वैध लाइसेंस प्राप्त और सरकार द्वारा तय किए गए बूचड़खानों (Slaughterhouses) के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर बकरी और भेड़ जैसे जानवरों की हत्या की अनुमति नहीं देनी चाहिए।' पीठ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश दिया कि वे राज्य भर में अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी

करें ताकि बकरीद की पूर्व संध्या (28 मई,2026) पर या किसी अन्य दिन अदालत के आदेश का उल्लंघन न हो।

फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने इतिहास और धार्मिक प्रथाओं का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह गायों, बछड़ों, दुधारू पशुओं और भार ढोने वाले जानवरों की हत्या पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए। न्यायाधीश ने कहा– "गाय संरक्षण महात्मा गांधीजी के लिए अत्यंत प्रिय मुद्दा था। प्रख्यात विद्वान श्री धर्मपाल ने बताया कि औपनिवेशिक सेना की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बड़ी संख्या में गायों की हत्या की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद, कई राज्यों ने कानून बनाए और उन कानूनों को न्यायालयों ने भी मान्यता दी।" न्यायालय ने पूर्व के मुस्लिम शासकों और सर्वोच्च न्यायालय के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए टिप्पणी की, 'अतीत में कई मुस्लिम राजाओं ने अपने शासनकाल में गाय की हत्या को समाप्त कर दिया था। सभी मुसलमान बकरीद के दिन गाय की कुर्बानी नहीं देते हैं। बकरीद के दिन गाय की कुर्बानी देना इस्लाम धर्म मानने वाले व्यक्ति के लिए अपनी धार्मिक आस्था और विचार को प्रदर्शित करने का कोई अनिवार्य प्रत्यक्ष कार्य नहीं है।'

गोवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, 1976 के सरकारी आदेश को ध्यान में रखते हुए नयायाधीश ने कहा – "चूंकि कार्यपालिका शक्ति विधायिका शक्ति के बराबर है, इसलिए सरकार द्वारा गोवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया गया सरकारी आदेश पूरी तरह से मान्य है और इसे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कानून की शक्ति होती है।"

मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में भारी आक्रोश है। द्रमुक (DMK) के वैचारिक सहयोगियों और वामपंथी दलों ने इस फैसले को "अन्यायपूर्ण" और लोगों के खानपान की आजादी व संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर न्यायालय पर "आपत्तिजनक और प्रेरित तर्क" देने का आरोप लगाया और कहा – "अगर वे इसे ही कानून मानते हैं, तो वे सभी जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा सकते थे। लेकिन केवल गायों और बछड़ों पर लागू होने वाला फैसला देना और उसमें बकरीद का विशेष रूप से उल्लेख करना पूरी तरह से आपत्तिजनक है और इसके पीछे छिपे इरादे हैं।" सीपीआई (एम) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने स्टालिन सरकार से इस फैसले के खिलाफ तुरंत ऊपरी न्यायालय में अपील करने की माँग की है।

इस भारी राजनीतिक और वैचारिक विवाद के बीच, न्यायालय के सख्त रुख को देखते हुए तमिलनाडु पुलिस ने गतमाह (शुक्रवार) को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में पुलिस विभाग ने बताया है कि न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : 'वैध और नामित बूचड़खानों में निगरानी और चेकिंग को कड़ा किया गया है। मवेशियों के अवैध परिवहन और तस्करी को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं और जिलों में जाँच अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन कर अस्थायी शैड लगाने या अवैध हत्या करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।'

तमिलनाडु में गोवंश हत्या पर प्रतिबंध का यह मामला अब केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं रह गया है। यह राज्य की **'द्रविड़यिन बनाम सनातनी'** वैचारिक युद्ध का नया केंद्र बन चुका है। आश्चर्य की बात है, तमिलनाडु जैसी प्राचीन, सांस्कृतिक और दिव्य सनातन भूमि पर इस प्रकार के मुद्दों से राजनीतिक रोटियाँ सेंकी जाती हैं। मुद्दे कुछ भी हों परंतु जीत, सत्य की ही होती है और सदैव धर्म ही स्थापित होता है। तमिलनाडु के महान संत 'वल्ललार' (चिदंबरम रामलिंगम) कहते हैं – भगवान के नाम का इस्तेमाल करके बकरियों, गायों और मुर्गियों जैसे मासूम, प्यारे जानवरों को बलि के तौर पर मारना एक बहुत बड़ा, माफ न करने लायक पाप (महा पावम) है (वल्लार तिरुवरुत्पा, जीव करुणा ओडुक्कम)।

आचार्य डॉक्टर विवेक

गोमाता और ज्योतिष

के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान

भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वित दृष्टिकोण – भारतीय संस्कृति में गोमाता और ज्योतिष दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक ओर गौ को धर्म, स्वास्थ्य, समृद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है, वहीं दूसरी ओर ज्योतिष को मानव जीवन और प्रकृति के सूक्ष्म संबंधों को समझने वाला दिव्य विज्ञान कहा गया है। जब इन दोनों विषयों को साथ रखकर देखा जाता है तब यह स्पष्ट होता है कि भारतीय ऋषियों ने केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय और मानसिक संतुलन का भी गहन विचार किया था।

गोमाता का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व –

वेदों और पुराणों में गौ को **"अघ्न्या"** अर्थात् जिसे कभी मारना नहीं चाहिए, कहा गया है। गौ केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि भारतीय जीवन– पद्धति का केंद्र रही है। कृषि प्रधान भारत में गाय दूध, गोबर, गोमूत्र और बैलों के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी रही है। गाय का दूध सात्विक माना गया है। आयुर्वेद में पंचगव्य का विशेष महत्व बताया गया है। गोबर और गोमूत्र को शुद्धि तथा औषधि के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। धार्मिक दृष्टि से भी गौ सेवा को पुण्यदायी माना गया है। अनेक संतों और महापुरुषों ने कहा कि गौ सेवा मनुष्य में करुणा, धैर्य और सेवा–भाव को विकसित करती है। भारतीय परिवारों में आज भी **"पहली रोटी गाय के लिए"** निकालने की परंपरा प्रचलित है। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश भी है।

ज्योतिष प्रकृति और जीवन का विज्ञान

ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है। यह केवल भविष्य बताने का साधन नहीं, बल्कि समय, ग्रहों, नक्षत्रों और मानव जीवन के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। भारतीय ज्योतिष मानता है कि सम्पूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा

विशेष सूचना : पाठक बंधुओं से हार्दिक निवेदन है कि अगले अंक से एक कॉलम "ज्योतिष और गाय" के नाम से प्रारंभ किया जा रहा है। इसके माध्यम से जिन लोगों की जो समस्यायें हैं उनको "सम्पादक के नाम पत्र" लिखकर भेज सकते हैं। सभी सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रहेंगीं। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम व स्थान बदलना चाहे तो पत्र में लिख सकता है, ताकि अन्य किसी को आपके संदर्भ में कोई जानकारी न मिल सके। पत्र के साथ अपनी कुंडली भेजें या "जन्म तिथि, स्थान, और समय" तीनों का उल्लेख करना अनिवार्य है। सभी समाधान पूर्णतः निःशुल्क हैं। पत्र के लिफाफे पर ज्योतिष और गाय अवश्य लिखें।

से संचालित है और ग्रहों की स्थितियाँ मानव जीवन पर सूक्ष्म प्रभाव डालती हैं। जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, कर्म, मानसिक स्थिति और जीवन की परिस्थितियों का संकेत देती है। ज्योतिष का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि उचित मार्गदर्शन देना है। भारतीय परंपरा में ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए दान, जप, तप, सेवा और सदाचार को महत्व दिया गया है। यही कारण है कि गौ सेवा को भी कई ज्योतिषीय उपायों में श्रेष्ठ माना गया है।

ज्योतिष में गौ सेवा का महत्व

भारतीय ज्योतिष में गाय को चंद्रमा, गुरु और शुक्र ग्रहों से विशेष रूप से जोड़ा गया है। चंद्रमा मन, शांति और मातृत्व का कारक है; गुरु धर्म, ज्ञान और सद्‌गुण कार्य, जबकि शुक्र सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गाय इन सभी गुणों का प्रत्यक्ष स्वरूप मानी गई है। ज्योतिषीय मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, मानसिक तनाव अधिक हो, पारिवारिक अशांति हो या गुरु ग्रह पीड़ित हो, तो **गौ सेवा** लाभदायक होती है। गाय को हरा चारा खिलाना, गौशाला में सेवा करना, बीमार गायों की देखभाल करना या गौ दान करना शुभ माना गया है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि इन उपायों का वास्तविक प्रभाव केवल कर्मकांड में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाली सकारात्मक भावनाओं में भी निहित है। जब मनुष्य निःस्वार्थ भाव से किसी जीव की सेवा करता है, तब उसके भीतर करुणा और संतुलन का विकास होता है। यही मानसिक परिवर्तन उसके जीवन में शुभ परिणामों का कारण बनता है।

पर्यावरण और समाज के संदर्भ में गाय की प्रासंगिकता

आज विश्व पर्यावरण संकट, रासायनिक खेती और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में भारतीय गौ– आधारित जीवनशैली पुनः प्रासंगिक होती दिखाई देती है। जैविक खेती में गोबर और गोमूत्र का उपयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौपालन

आत्मनिर्भरता का आधार बन सकता है। यदि आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान का संतुलित उपयोग किया जाए तो गौ आधारित उत्पाद स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष भी यदि अंधविश्वास से मुक्त होकर आत्मचिंतन और जीवन–प्रबंधन के रूप में अपनाया जाए तो यह व्यक्ति को मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष

गौ और ज्योतिष दोनों भारतीय संस्कृति की ऐसी धरोहर हैं जिनका मूल उद्देश्य मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना है। गौ सेवा हमें करुणा, सह–अस्तित्व और प्रकृति प्रेम का पाठ पढ़ाती है, जबकि ज्योतिष हमें समय और कर्म के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन विषयों को अंधविश्वास या केवल परंपरा के रूप में न देखें, बल्कि इनके पीछे छिपे सांस्कृतिक, नैतिक और वैज्ञानिक संकेतों को समझें। जब मनुष्य सेवा, सदाचार और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव अपनाता है तब उसका जीवन अधिक शांत, संतुलित और सार्थक बनता है। इस प्रकार ज्योतिष और गोमाता दोनों मिलकर भारतीय जीवन–दर्शन की उस व्यापक भावना को प्रकट करते हैं, जिसमें समस्त सृष्टि को एक परिवार माना गया है।

हरीशंकर दीक्षित (पथिक)

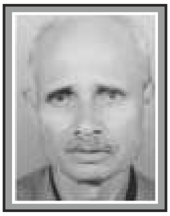

गोसेवा - रक्षा ही है ईश्वर की पूजा

हमारे देश में विशेषकर सम्पूर्ण उत्तर भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गोवंश पर छाये भीषण संकट से परिचित न हो। दुखद यह है कि अधिकांश लोग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। इनमें भी अधिकांश तो ऐसे भी हैं जो अब गोवंश को फूटी आँखों से भी देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों में गाँव–नगर सभी स्थानों के लोग हैं। गाँवों के लोग छुट्टा गोवंश से फसल की होने वाली हानि और नगरों में गलियों, सड़कों पर इनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं के कारण गोवंश को देखना तक नहीं चाहते। यह लोग इसका सारा दोष सरकार को देते हैं जबकि दोषी तो वे भी हैं।

आदिकाल में हमारा देश कृषि प्रधान देश के रूप में विश्व भर में विख्यात था। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति कृषि के आधार पर ही कृषि संस्कृति के रूप में अंकुरित होकर विकसित हुई है। कृषि के आधार पर हमारे देश की ऐसी उन्नति हुई थी कि संसार में इसे हिरण्यगर्भा देश के रूप में जाना जाता था। विदेशी अधर्मी–मजहबी लुटेरों द्वारा लुटने– पिटने और नोचे–खसोटे जाने के बाद भी अंग्रेजों ने इसे सोन चिरैया कहा था। उन्होंने इसके सोने के पर नोचे और जाते–जाते इसे दो देशों के रूप में तीन खण्डों में बाँटकर लहूलुहान कर दिया।

अँग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश की आर्थिक रीढ़ गोवंश पर संकट के बादल छाने प्रारम्भ हुए जो धीरे–धीरे घनीभूत होते गये। आज दशा इतनी भयावह हो चुकी है कि गोवंश विलुप्ति की कगार तक हमारे ही द्वारा ठेल–ढ़केलकर पहुँचाया जा रहा है। इसके प्रति हमारा उपेक्षा और तिरस्कार भाव और हमारे द्वारा इसे ठेलना– ढ़केलना हमारी कृतघ्नता नहीं तो क्या है? क्या यह सत्य नहीं कि पश्चिमी क्षितिज की आकर्षक मशीनी बाजार की लालिमा की चौंध में अन्धे होकर हम अपने पुण्यात्मा पूर्वजों द्वारा दिखाये गये लोकमंगलकारी मार्ग से भटककर ऐसे अमंगलकारी मार्ग पर चल पड़े हैं जो निकट भविष्य में धरती की शिव–सुन्दर सृष्टि के विनाश का

कारण बनने वाला है। मशीनी बाजार के विनाशकारी जाल में फँसकर हम ऐसा उलझे हैं कि इससे निकलने की बात तक नहीं सोच पा रहे हैं। मशीनों ने हमें कठोर परिश्रम करने से सर्वथा विमुख कर दिया है। यही नहीं तकनीकि का दुरुपयोग करते हुए मनोरंजन के नाम पर हमारा ऐसा मनोभंजन किया जा रहा है कि हम अपनी सर्वोत्तम पूँजी चरित्र की हत्या अपने ही हाथों करते जा रहे हैं।

आज के मशीनी और तकनीकी बाजार ने हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य को अति सरल कर दिया है। खेतों की जुतायी से फसल की कटायी–मड़ायी तक ही नहीं ईश्वर का भजन–आरती करने तक में हमें अत्यल्प श्रम करना पड़ता है। स्विच दबाते ही भजन–कीर्तन वह भी कई गुना ऊँचे स्वर में (यहाँ तक कि कर्णकटु स्वर तक में) मशीन गाने लगती है। अब तो हमें ईश्वर की स्तुति करने में भी मुँह नहीं चलाना पड़ता है। अधिकांश घरों में ईश्वर की स्तुति प्रायः इसी प्रकार होती है। शायद ही कोई मन्दिर ऐसा हो जहाँ मशीनों द्वारा स्तुति नहीं की जाती हो। तात्पर्य यह है कि आज हम मशीनी–तकनीकी बाजार के जाल में फँसकर अतिशय सुविधाभोगी हो गये हैं। इस सुविधाभोग ने हमें परिश्रमविमुख ही नहीं किया है अपितु इसके कारण हमारा विवेक भी नष्ट होता जारहा है। अनुचित–उचित में भेद करके उचित को ग्रहण कराने वाली शक्ति जो बुद्धि से परे होती है नष्ट हो जाती है तो वह व्यक्ति विनिष्ट हो जाता है। यह बात व्यक्ति से परिवार, समाज, राष्ट्र और यहाँ तक कि सम्पूर्ण विश्व पर लागू होती है। क्या आज सम्पूर्ण संसार की दशा ऐसी नहीं हो रही है? क्या हमारा देश भी विवेकहीनता की दशा तक पहुँचकर तीव्र आर्थिक विकास की अन्धी दौड़ में अपनी दोनों आँखें बन्द कर नहीं दौड़ रहा है? क्या हम विश्व की प्रथम आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा नहीं पाले हैं?

मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि हम आर्थिक स्थिति में संसार भर से पिछड़ जायें, किन्तु यह आशय अवश्य है कि हमें विवेक से निर्णय करते हुए उचित मार्ग अपनाना चाहिए। हम मध्यम मार्ग अपनाकर विश्व में अपना सन्तुलन बनाये रखते हुए उन्नति के मार्ग पर भलीभाँति अग्रसर होकर चल सकते थे। यदि हम ऐसा करते तो हमारी भावी सन्तानों का भविष्य सुन्दर–सुखद और अति सुरक्षित रह सकता था, किन्तु हमारे कर्णधारों ने ऐसा नहीं किया। यदि करते तो हमारा सर्वदेवमय लोकमंगलकारी गोवंश उपेक्षित–तिरस्कृत होकर दुरुह कष्ट सहता हुआ, मारा–मारा फिरता विलुप्ति की कगार तक न पहुँचता और हमारा गोवंश भी हमारे घर–परिवार में सुखी रहते हुए हमें आशीर्वाद देता।

यदि हमारे तत्कालीन कर्णधार विकास कार्यों का प्रारम्भ अपने देश की मूलशक्ति गोवंश के आधार पर परम्परागत कृषि उपकरणों तथा कुटीर उद्योगों के यन्त्रों में क्रमशः सुधार कर उन्हें उन्नत कर अधिक उपयोगी बनाते तो हमारे देश का अत्यधिक भला होने के साथ ही गोवंश सहित अन्य पशु–पक्षियों पर आज जैसा संकट नहीं होता। हमारे

देश की धरती को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती हमारी कृषि उपज विषाक्त नहीं होती और हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या इतनी भीषण भयावह तो कदापि नहीं होती। कृषि तथा कुटीर उद्योगों में गोवंश सहित अन्यान्य पशुओं का उपयोग होने से प्रदूषण की मात्रा आधे से भी कम अवश्य होती। सबसे बड़ी बात यह होती कि हमारे देश में बेरोजगारी लगभग न के बराबर होती और अधिकांश लोगों को रोजगार अपने घर–गाँव में ही मिलता।

आज हमारे देश की प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार चाहे आर्थिक हो या चारित्रिक दोनों ही अतिघातक हैं। जब तक हमारे देश में गोदुग्ध प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तब तक हमारा चरित्र पर्याप्त सीमा तक शुद्ध था। आजादी के पश्चात् जैसे–जैसे हमने अपने गोवंश की उपेक्षा प्रारम्भ की वैसे–वैसे हमारा चरित्र दूषित होता गया। त्यागभाव हमारे मन से दूर होता गया और हम भोगवादी दुष्प्रवृत्तियों के बाजारी जाल में जकड़ते गये। आज दशा यहाँ तक दूषित हो चुकी है कि यह दूषण हमें भूषण दिखायी देने लगा है।

आज हमारे वे पुण्यात्मा पूर्वज जिन्होंने अनवरत तप करके सृष्टिरचना के गूढ़ उद्देश्य को जानकर हमें हमारे कर्तव्यों (धर्म) का ज्ञान देकर ईश्वरीय इच्छानुसार जीवनयापन करने की कला का ज्ञान देकर आवागमन के दुसह चक्र को भेदकर भवसागर रूपी वैतरणी से पार पाने का गूढ़ ज्ञान दिया कि गोवंश ही वह नैय्या है जिसके अवलम्ब से इसे सफलतापूर्वक सरल–सहजता से पार किया जा सकता है। हम इन के उपदेशों की

अवहेलना कर अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ करते जा रहे हैं। यही नहीं अपने धर्म का पालन न करके गोवंश सहित अन्यान्य प्राणियों को भी कष्ट– दुख पहुँचाकर महापाप के भागी बनते जा रहे हैं।

अभी कलियुग के लगभग पाँच हजार वर्ष ही बीते हैं। इसकी आयु के अनुपात में अभी यह बालअवस्था में है। अभी लगभग चार लाख वर्ष शेष हैं। इस युग में मानवी अधर्माचरण के कारण अनेक बार भारी जनहानि होनी निश्चित है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसके दुष्प्रभाव को कम करते रहें, किन्तु हम विपरीत आचरण करते हुए इसके दुष्प्रभाव में वृद्धि करते जा रहे हैं। हमारे धर्माचार्यों को चाहिये कि वे धर्म के मर्म को समझें। विभिन्न मन्दिरों का या अन्यान्य नामों से चिह्नित पूजागृहों का निर्माण कर उसमें ईश्वर की मूर्ति स्थापित करना या बिना मूर्ति के पूजा करना मात्र ईशोपासना नहीं है। यदि हम गोमाता सहित अन्य प्राणियों की सेवा करेंगे और आशीष रूप में उनकी शक्ति–सम्पदा का सदुपयोग करें तो हम पर ईश्वर प्रसन्न होकर हमें आवागमन के चक्र से मुक्त कर गोलोक में स्थान देने की कृपा अवश्य करेंगे। गोवंश की सेवा से यह कार्य प्रारम्भ करना उचित होगा। गोमाता के आशीर्वाद से हम नित्य निरन्तर आगे बढ़ते जायेंगे। यही हमारा अभीष्ट है।

अन्त में विभिन्न धर्माचार्यों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि सृष्टि रचना के ईश्वरीय उद्देश्य का गूढ़ ज्ञान जन–जन तक पहुँचाना ही अपना लक्ष्य बनाकर लोगों को जाग्रत करने का पुण्य कार्य लोकमंगल हेतु करना प्रारम्भ करें। यही उनका परमधर्म है। ठीक वैसे ही जैसे राजा का परम धर्म प्रजा की सेवा–रक्षा है। धर्म के अर्थ का जो अनर्थ अब तक हो चुका है उसे दूर कर उसका सत्य अर्थ मर्म सहित उपदेशित करने की आवश्यकता है। कारण यह कि चराचर जगत के समस्त घटक स्वधर्म का पालन निष्ठापूर्वक करते आ रहे हैं, किन्तु मनुष्य ही एकमात्र ऐसा घटक है जो इसका पालन करना तो दूर अपितु इसके अर्थ का अनर्थ कर, इसे टुकड़ों में काट–बाँटकर इसके विपरीत आचरण कर रहा है। यह कार्य ईश्वरेच्छा का निर्लज्जतापूर्वक उल्लंघन नहीं तो क्या है? अब भी समय है हम ईश्वर की प्रिय रचना गोवंश की सेवा–रक्षा करते हुए अपने परम धर्म का पालन कर ईश्वर को प्रसन्न करें। गोसेवा –रक्षा ईश्वर की सेवा–पूजा ही है।

वैद्य नंदिनी भोजराज (एम.डी., आयुर्वेद)

पुरुषोत्तम मास में गोसेवा का माहात्म्य

पर्यावरण संकट वर्तमान में संपूर्ण सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। हम सब को अपनी–अपनी जगह से व्यक्तिशः, परिवार द्वारा, सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा **''पर्यावरण पूरक''** विषय में सोचना एवम् अमल करने की आवश्यकता है। इसका सीधा संबंध **''मनुष्य स्वास्थ्य''** पर भी निरंतर हो रहा है। गोवंश कोई भी हो, छोटा, बड़ा, बूढ़े बैल, बूढ़ी गाय सभी अपने जन्म से लेकर मृत्यू पर्यंत निरंतर गोबर, गोमूत्र बिना मांगे देते ही हैं।

आयुर्वेद शास्त्र में ''गोमय'' को शरीर शोधक (शरीर शुद्धि, साफ सफाई) करने वाला माना जाता है। गोबर के संपर्क मात्र से ही शरीर के अंदर स्थित विष तत्त्व शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण विभिन्न व्याधियों के साथ अनुभव किया जा रहा है। पुराने जमाने में गोवंश का पालन अधिक संख्या में करने का रिवाज था। अतः गोबर की उपलब्धि प्रचुर मात्रा में होती थी। अधिक–से –अधिक समय तक हम अपने घरों में जमीन के संपर्क में होते हैं। गोबर की अपने घरों में लिपाई होना संपूर्ण भारतीय संस्कृति का विशेष अंग है। भूमि के माध्यम से संपूर्ण जीवसृष्टि का गोमय से नजदीकी रिश्ता माना जाता है।

गोविज्ञान अनुसंधान केन्द्र देवलापार में गोबर शिल्प एवम् दैनिक उपयुक्त ''गोमय निर्मित'' वस्तुएं बनाई जाती हैं। साथ ही उसका नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गोबर से केंचुऑ खाद,

प्लान्ट संरक्षक (Growth Promoter), जप माला, आसन, धूप, मंजन, नहाने की टिकिया, मालिश तैल आदि का नियमित रूप से निर्माण किया जाता है। इनका विधिवत् उपयोग करने पर स्पष्ट लाभ दिखाई देता है।

वर्षा ऋतु अब आने वाली है। अतः अनेक लोगों को गोमय संपर्क अभियान के द्वारा लाभ होता हम देख सकते हैं। गोबर का उपयोग करते हुए बनने वाली वस्तुएं निम्न हैं :–

1. गोमय शिल्प (हाथ में लेने से हाथ का संपर्क) 2. कामधेनु गोमय तैल (नाक एवम् कान के लिए) 3. कामधेनु मालिश तेल कुनकुना कर शरीर में जहाँ दर्द है वहाँ पर लगाएं। उदा. शरीर में गोमूत्र, गोमय का लेप एड़ियों पर करने से एडियों की वेदना में राहत मिलती हुई देखी गई है। 4. ताजे शुद्ध गोमय से हमारे सिर संधिशूल (सांधे में वेदना) ठीक होकर शरीर को ठंडक मिलती है गोबर निर्मित आसन या पॉट के ऊपर खडे रहने से शरीर के अंदर की उष्मा का नियंत्रण होता है। 5. कामधेनु गोमय भस्म लेप टिकिया का उपयोग, चेहरे पर लेप, नहाने हेतु उपयोग, पेट फूलने पर गोमूत्र के साथ लेप करने से पेट में जमा होने वाला पानी धीरे–धीरे कम होने लगता है। 6. गोमय तैल की एक बूंद आँख में लगाने से उसके नजदीकी अंग में जो भी दोष शरीर के अंदर जमा होते हैं वे इसके उपयोग से धीरे–धीरे खून में जाकर शरीर से बाहर निकलते हैं। 7. ''गोमय'' निर्मित धूप का उपयोग वातावरण निर्जंतुक करने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। 8. कामधेनु उबटन का पानी/गुलाब जल/ दूध आदि के साथ कोई एक वस्तु के साथ फेस पैक किया जाता है। शरीर की ऊष्मा के आघात से बचाता है। 9. पंचगव्य घृत की दो बूंद कान में, नाभी में डालने एवम् पादाभ्यंग द्वारा शरीर शुद्ध होता है। शरीर की व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ती है। 10. कामधेनु गोमय भस्म दंतमंजन का नित्य उपयोग से मुख स्वास्थ्य ठीक रहता है, साथ ही मसूड़ें मजबूत होते हैं।

इस पुरुषोत्तम मास में उपरोक्त गो उत्पाद का उपयोग करते हुए हम गोसेवा के साथ स्वास्थ्य लाभ तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णुजी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु गोविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, देवलापार के शिवाजी नगर, नागपुर स्थित दवाखाने से संपर्क क्रमांक 9405701253 पर संपर्क कर सकते है।

डॉ. विजय लक्ष्मी (अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड)

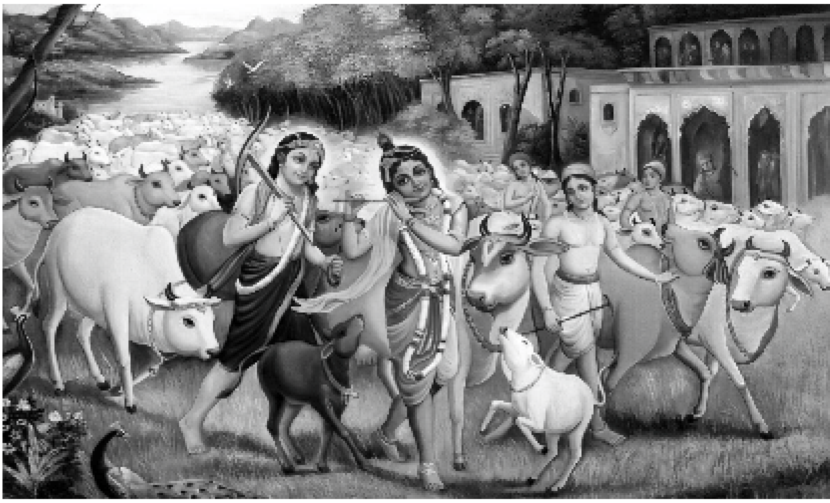

श्रीकृष्ण के जीवन में गोमाता का महत्व

भगवान श्रीकृष्ण का बाल्य जीवन गोसेवा में व्यतीत हुआ इसीलिए उनका नाम **'गोपाल'** पड़ा। हिंदू धर्म में गाय समृद्धि और निःस्वार्थ सेवा की प्रतीक है और श्रीकृष्ण का उनके साथ लगाव, उनके पालन–पोषण और करुणामय स्वभाव को दर्शाता है। उनकी बांसुरी की धुन गायों को मंत्रमुग्ध कर देती थी, जो दिव्य सद्भाव में उनके चारों ओर एकत्रित हो जाती थीं। श्रीकृष्ण के पास हजारों गायें थीं, जिन्हें उनके रंगों के अनुसार समूहों में बाँटा गया था। रंगों के आधार पर उनके अलग–अलग नाम भी रखे गए थे। जब वे चरागाह से लौटने की तैयारी करते, तो वे सभी गायों को इकट्ठा करते। जैसे वैष्णव 108 मालाओं की गिनती करते हैं, जो 108 गोपियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वैसे ही श्रीकृष्ण भी गायों के विभिन्न समूहों को गिनने के लिए 108 मालाओं की गिनती करते थे। श्रीकृष्ण द्वारा पाली गई गायों के अलग–अलग नाम थे और कृष्ण उन्हें प्रेम से पुकारते थे। कृष्ण की पुकार सुनकर गायें तुरंत रंभाकर जवाब देती थीं और सभी इस आदान–प्रदान का भरपूर आनंद लेते थे। वे सभी विभिन्न प्रकार के पक्षियों विशेष कर चकोर, मोर, कोयल आदि द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों की नकल करते थे। यह सभी भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय हैं। सुरभि गायों में से जो सभी कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, सात को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वे हैं ***मंगला, पिंगला, गंगा, पिसंगी, मणिकस्तनी, हंसी और वंशीप्रिया।*** बचपन में श्रीकृष्ण नंगे पैर ही ब्रज में रहा करते थे। जब माता यशोदा उनसे पूछा करती थीं कि लाला तू अपने पैरों में कुछ धारण क्यों नहीं करता तब भगवान कृष्ण बड़ी सुंदरता से गोमाता के प्रति प्रेम दर्शाते हुए कहते थे कि जब ब्रज की गायों ने कुछ धारण नहीं किया तो मैं कैसे धारण कर सकता हूँ, इसलिए वह पूरे ब्रज में नंगे पैर ही घूमा करते थे। भगवान श्रीकृष्ण 84 लाख योनियों में से इतने सारे प्राणियों को छोड़कर केवल गोमाता के लिए ही इतना प्रेम और समर्पण इसलिए दिखा रहे थे, क्योंकि गोमाता दिव्य–महान हैं।

भगवान श्रीकृष्ण और गाय की छवि शाश्वत मूल्य की शिक्षा देती है, जो निम्नलिखित है–

01. **करुणा** – प्राणियों और प्रकृति की देखभाल करना करुणा और दयालुता को दर्शाता है।
02. **सादगी** – श्रीकृष्ण का ग्वाला जीवन विनम्रता और सरल जीवन के आनंद पर जोर देता है।
03. **आध्यात्मिक संबंध** – गाय मनुष्य और ईश्वर के बीच एक सेतु है, जो ब्रह्मांड के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध की प्रतीक है।

हिंदू पौराणिक कथाओं में श्रीकृष्ण के वृंदावन में बिताए शुरुआती वर्षों को गोपाल के रूप में चिह्नित किया गया है, जो गोवंश के रक्षक हैं। बचपन में वे गायों को चराते थे, जिससे उनकी देखभाल और जिम्मेदारी का परिचय मिलता था। उन्हें गोविंद भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है **"गायों के रक्षक"**।

संत कवि सूरदास के साहित्य में श्रीकृष्ण और गोप्रेम

भक्तिकाल में सूरदास ने **'सूरसागर'** में

कृष्ण और गायों के संबंधों का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। जब बालकृष्ण अपनी मैया से वन में गाय चराने जाने की हठ करते हैं तो वह दृश्य अति अनूठा बन जाता है। वे माता यशोदा से कहते हैं कि वे अब केवल बछड़ों को नहीं, अपितु बड़ी गायों को चराने भी जाएंगे। माता यशोदा कृष्ण के सुकुमार होने के कारण उन्हें मना करती हैं, फिर भी कान्हा अपनी धुन में मस्त रहते हैं। कृष्ण साहित्य में गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि वह जीवात्मा का प्रतीक है। जैसे गाय का प्रेम अपने बछड़े के प्रति निर्मल और निःस्वार्थ होता है, वैसे ही भक्त और भगवान का प्रेम है।

गोवर्धन लीला में गोरक्षा

श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के प्रकोप से बृजवासियों और गायों की रक्षा की थी। इस लीला से यह प्रमाणित होता है कि कृष्ण अपनी गायों की सुरक्षा के लिए किसी भी बड़ी शक्ति (जैसे–इंद्र) से टकरा सकते थे। हिंदी साहित्य में कृष्ण का गोप्रेम हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवों के प्रति करुणा का पाठ पढ़ाता है। हिंदी साहित्य (विशेषकर कृष्ण–भक्ति काव्यधारा) में कृष्ण और गाय का प्रेम अटूट और समर्पण से भरा है।

गोपाष्टमी का महत्व

कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण बचपन में केवल बछड़ों की सेवा किया करते थे। एक दिन उन्होंने माँ यशोदा से इच्छा प्रकट की कि वह अब गायों की सेवा भी करना चाहते हैं। नंदबाबा ने ऋषि शांडिल्य से शुभ मुहूर्त पूछा और उसी दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल अष्टमी को कृष्ण ने पहली बार गायों को चराने का कार्य आरंभ किया। माँ यशोदा ने उन्हें तैयार किया, मोरपंख मुकुट पहनाया, लेकिन जब पादुका पहनाने लगीं तो कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, ***"जब सब गायों और ग्वालों को पादुका मिलेगी तभी मैं पहनूँगा।"*** इस प्रेम और करुणा से यशोदा मैया की आंखें भर आईं। उसी क्षण से यह दिन गोपाष्टमी कहलाने लगा। राक्षसी पूतना के वध के पश्चात् गोपियां श्रीकृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज व गोमय लगाकर शुद्धि करती हैं क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था और गाय की पूंछ को श्रीकृष्ण के चारों ओर घूमाकर उनकी नजर भी उतारती हैं। तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले श्रीकृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गायें करती हैं। जब–जब श्रीकृष्ण पर कोई संकट आया, नंदबाबा और यशोदा माता ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र व पुष्पमाला से सजी गायों को दान करते थे। नंदबाबा के घर अनेक ग्वाल–बाल सेवक थे, पर श्रीकृष्ण गायों को दुहने का काम भी स्वयं करना चाहते थे–

तनक कनक की दोहनी दे री मैया।
तात दुहन सिखवन कह्यौ मोहि धौरी गैया।।

सूरदास जी ने यशोदा माता और लाडले कान्हा के आपसी संवादों से गो–महिमा और श्रीकृष्ण की गो–भक्ति का अत्यंत मधुर वर्णन किया है–

आजु मैं गाइ चरावन जैहों।
वृंदावन के भांति भांति फल
अपने कर में खैहौं।।

मोरमुकुटी, वनमाली, पीतांबरधारी श्रीकृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल–मल कर गायों को स्नान कराते, अपने पीतांबर से ही गायों का शरीर पौंछते, सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते और पुष्पगुच्छ, गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते। तृण एकत्र कर स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गायों के पीछे वन–वन वे नित्य नंगे पांव कुश, कंकड़, कंटक सहते हुए उन्हें चराने जाते थे। गाय तो उनकी आराध्या हैं और आराध्या का अनुगमन पादत्राण (जूते) पहनकर तो होता नहीं। परब्रह्म श्रीकृष्ण गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कोई छड़ी आदि नहीं रखते थे, केवल वंशी लिए हुए ही गाय चराने जाते थे। वे गायों के पीछे–पीछे ही जाते हैं और गायों के पीछे–पीछे ही लौटते हैं, गायों को मुरली सुनाते हैं। प्रातः गोसमूह को साष्टांग प्रणिपात (प्रणाम) करते और सायंकाल **'पांडुरंग'** बन जाते (गायों के खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख–शरीर पीला हो जाता था)। भगवान श्रीकृष्ण ने ही **'गोधन की सौं'** शपथ प्रचलित कराई। वंशी की ध्वनि से प्रत्येक गाय को नाम ले–लेकर पुकारते थे और वंशी की टेर सुनकर चाहे वे गायें कितनी भी दूर क्यों न हों, दौड़कर उनके पास पहुँच जातीं और चारों ओर से उन्हें घेरकर खड़ी हो जातीं–

गोविन्द गिरि चढ़ गाय बुलावत।
गायँ बुलाईं धूमर–धौरीं टेरत वेणु बजाय।।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं में गोमाता के साथ उनका संबंध केवल एक कथा मात्र नहीं है, बल्कि यह भक्ति, सेवा और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक शाश्वत संदेश है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने गायों को अपनी लीलाओं का केंद्र बनाया, उन्हें अपना सखा, भक्त और प्रेम का पात्र समझा, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा के भाव को अपनाना चाहिए। गोमाता की सेवा अपने आप में ईश्वर की सेवा का एक प्रत्यक्ष रूप है। आधुनिक युग में जहाँ प्रकृति से हमारा संबंध कमजोर होता जा रहा है, श्रीकृष्ण की यह लीला हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराती है।

अरविंद शर्मा

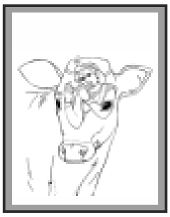

"खेत बचाओ अभियान" अर्थात मृदा हो स्वस्थ
धरती फिर उगले सोना

नई दिल्ली। देश में खेती की सबसे बड़ी समस्या अब खाद की कमी नहीं, बल्कि उसका अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल है। खेतों में जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने के कारण मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकार को मिट्टी बचाने के लिए गत 1 जून से **"खेत बचाओ अभियान"** शुरू करना पड़ा। *कृषि विशेषज्ञों की 1.650 से अधिक टीमें कम खाद सही खाद और सही सलाह के नारों के साथ गांव–गांव जाएंगीं।* किसानों को समझाएंगीं कि अधिक खाद से अधिक उत्पादन नहीं, बल्कि मिट्टी के साथ–साथ सेहत का भी नुकसान होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसलों को संतुलित पोषण देने के लिए खेतों में नाइट्रोजन (एन) फास्फोरस (पी) एवं पोटाश (के) का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 9. 3:3:5:1 तक पहुंच गया है। हाल ये है कि उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग करने वाले शीर्ष 12 राज्यों में हरियाणा पांचवें और उत्तर प्रदेश छठवें स्थान पर है। हरियाणा में ये अनुपात 29.2 : 7.3 : 1 है जबकि उत्तर प्रदेश में 22.7 : 6.7 : 1 है।

इसका सीधा मतलब है कि किसान बेतहाशा नाइट्रोजन आधारित उर्वरक खासकर यूरिया डाल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यूरिया की सस्ती उपलब्धता है। केंद्र सरकार यूरिया पर **हर साल पौने दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी देती है, जिससे इसकी कीमत काफी कम रहती**

है। किसान हरियाली व फसल की तेज वृद्धि देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। लंबे समय में यही आदत मिट्टी को जहरीला बना देती है। बता दें कि यूरिया में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, डीएपी में फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड में पोटाश होता है। कई राज्यों में स्थिति चिंताजनक है।

यूरिया का बेतहाशा इस्तेमाल भूजल को कर रहा जहरीला : अधिक यूरिया का असर सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा मिट्टी में रिसकर भूजल तक जाता है। इससे पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है जो पेयजल को दूषित करता है। ऐसे में अब मिट्टी बचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक व राज्य सरकारों की टीमें गांव–गांव में किसानों को मिट्टी परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, **जैविक खाद** और फसल के पोषण प्रबंधन की जानकारी देंगी।

साभार – दैनिक जागरण

उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल वाले शीर्ष 12 राज्य

राज्य	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश अनुपात
नगालैंड	10.1	5.8	1
राजस्थान	45.7	15	1
झारखंड	37.3	11	1
पंजाब	29.8	6.5	1
हरियाणा	29.2	7.3	1
उत्तर प्रदेश	22.7	6.7	1
उत्तराखंड	22.2	5.1	1
मध्य प्रदेश	15.3	6.8	1
गुजरात	14.7	4.6	1
तेलंगाना	12.6	4.8	1
छत्तीसगढ़	11.2	5.1	1
बिहार	11	3.3	1

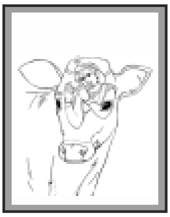

NATIONAL SEMINAR ON INDIGENOUS COWS HIGHLIGHTS CULTURAL, SCIENTIFIC AND ECONOMIC SIGNIFICANCE

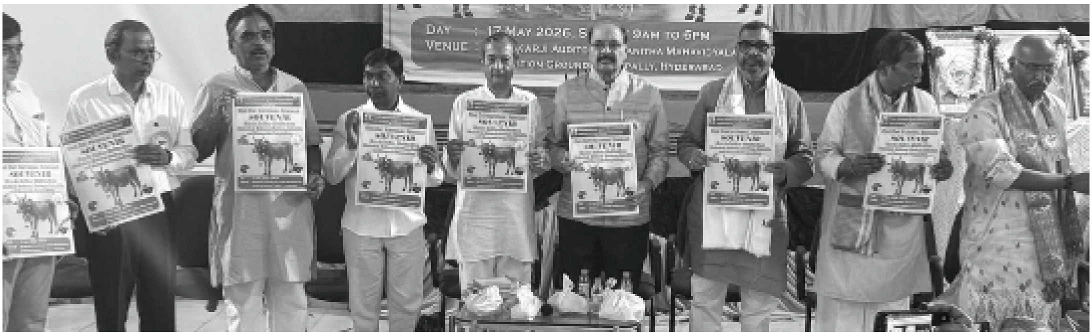

Hyderabad, metro udayam May 18: A one-day national seminar on "Gau in Indian Civilisation: Historical, Cultural, Heritage, Scientific and Economic Perspectives" was successfully organised jointly by the Itihas Sankalan Samithi (Bharateeya) and Hindu Spiritual and Service Foundation in Hyderabad, drawing enthusiastic participation from scholars, scientists, academicians and social activists from various parts of the country. The seminar focused on the historical, cultural, scientific, agricultural, economic and spiritual importance of indigenous cows in Indian civilisation. Speakers highlighted the relevance of cow-based sustainable practices in healthcare, agriculture, environmental protection and rural development. The programme was presided over by Prof. V. Kishan Rao, President of Itihas Sankalan Samithi, Telangana State. Prof. Guru Prasad Singh from BHU, Varanasi and former Director of the National Dairy Development Board attended as the Chief Guest and spoke on the significance of indigenous cattle in Indian culture and national development. Prof. Dr. M.M. Rao delivered the keynote address, focusing on scientific research related to Panchagavya and cow- based agricultural sys-tems.

Research papers were presented by distin-guished scholars including Prof. Dr. Jayateertha Rao, Peketi Prasad, CA Jasrajji Shrishrimal, Goswamy Nitthala Gopala Krishna, Sunil Mansinghka, Dr. Gummadavelli Srinivas, Dr. Suresh Jakotia, Dr. Jaya Krishna, Dr. Sharad Jahoorkar, Mousami Singh, Aruna Jyothi, Anil Kumar and Vijay Rama Rao, among others. A major attraction of the event was the historical drama "Musunuri Nayakulu", presented by Sai Prasad and team, which received wide appreciation from the audience. The organisers expressed gratitude to Sri Sai Vara Prasad Garu, President of the Seminar, along with Prof. P. Jalapathi (OU), Sri M. Indu Shekhar Ji, Sri Yadagiri Rao Garu, Sri A. Keshava Raj Garu, Smt. Laxmi Garu, Dr. Kavita Garu and Smt. Saraswati Garu for their contribution and organisational support. The seminar concluded with a call for greater awareness on indigenous cow protection and pro-motion of Bharatiya knowledge systems for sustainable and healthy living.

Dr. Sanjay Raman "Vidyavachaspati"

THE GENTLE HEARTBEAT
WHY THE COW REMAINS THE SOUL OF INDIA

In Indian civilization, few symbols resonate as deeply or endure as universally as the cow. Revered as 'Gau Mata'(Mother Cow), she is not merely an animal in the Indian consciousness; she is a cultural anchor, a spiritual ecosystem and a historical lifeline. To understand why the cow holds this maternal mantle is to journey through thousands of years of spiritual evolution, economic pragmatism and cultural identity.

This deep-seated reverence is firmly anchored in India's oldest sacred texts, the Vedas. In the ancient agrarian landscape of the Vedic period, the cow was identified as the core source of sustenance and wealth. The 'Rig Veda' frequently references her with deep respect using the term Aghnya, which translates to "She who must not be slaughtered." Far from being a primitive form of nature worship, Vedic literature elevated the cow to a cosmic entity, identifying her with Aditi, the mother goddess of the cosmos, who symbolizes the boundless, nurturing universe. The bounty she provided milk, clarified butter (ghee) and curds, became the literal fuel for the Yajnas (sacred fire rituals) that maintained cosmic order, thereby linking the physical survival of humans to the spiritual alignment of the universe.

As Indian philosophy shifted from Vedic rituals to the devotional era of the Epics and Puranas, the cow's maternal identity crystallized further. No figure embodies this more beautifully than Lord Krishna, who is celebrated as Gopala (the protector of cows) and Govinda (one who brings satisfaction to cows). It is within these traditions that the concept of Kamadhenu emerges- a divine, wish-fulfilling cow born from the churning of the cosmic ocean, symbolizing the earth's endless capacity to provide when treated with respect. During this era, the cow became the physical manifestation of Ahimsa (non-injury), the highest ethical virtue shared by Hinduism, Jainism and Buddhism.

The title 'Gau Mata'is an intentional expression of profound gratitude because in a traditional Indian ecosystem, the cow perfectly mimics the role of a biological mother. She provides life-giving milk that nourishes children long after weaning and her entire existence is defined by selfless giving, as she consumes simple grass and dry straw to produce premium nourishment. Furthermore, her five products, known collectively as Panchagavya (milk, curd, ghee, urine and dung) are foundational to traditional Ayurvedic medicine, sacred rituals and organic farming, making her a self-contained purifying agent for both the body and the earth.

Over the centuries, this reverence transitioned seamlessly from historical agrarian life into the fabric of modern India, where the cow remains an emblem of regional sustainability and decentralized rural economies. Today, 'Gau Mata' serves as a powerful thread connecting rural livelihoods to ancient ethics, offering a living blueprint for ecological balance. In a rapidly urbanizing world, she stands as a poignant reminder of a civilization that seeks a partnership with nature rather than its total conquest. She is called a mother because for millennia, she has quietly, reliably and selflessly sustained the very soul of India.

Dr. Aastha Pathak

KAMDHENU

THE DIVINE COW AND THE REVERED IDEAL OF MOTHERHOOD IN INDIAN CULTURE

In the vast spiritual and cultural landscape of India, the cow holds a place of profound reverence that goes far beyond its physical presence in daily life, emerging instead as a symbol of nourishment, compassion, and selfless giving deeply embedded in civilizational consciousness.

Central to this understanding is the divine figure of Kamdhenu, revered in ancient texts as the celestial cow who grants all desires and embodies limitless abundance, a being who emerged from the cosmic churning of the ocean and came to reside in the ashrams of sages like Vashistha, where she sustained entire communities through her divine generosity without expectation of return. This imagery is not merely mythological ornamentation but carries a profound philosophical meaning, presenting the cow as a representation of nature itself ever-giving, nurturing, and harmoniously aligned with the needs of life, offering sustenance while asking for little in return.

The idea of the cow as “Gau Mata” or mother arises organically from this lived and symbolic experience, as generations have depended on the cow for nourishment in the form of milk and its derivatives, creating a relationship that mirrors the nurturing bond between a mother and child, a connection that is both emotional and practical, rooted in gratitude rather than utility alone.

In traditional Indian society, especially within rural life, the cow has never been regarded as a mere economic asset but as a

member of the household, cared for with affection and respect, and honoured during festivals and rituals that celebrate its contributions to human well-being, reflecting a worldview in which gratitude toward sustaining forces of life is expressed through reverence and care.

This reverence is further deepened by spiritual philosophy, where the cow is seen as a gentle and sattvic being embodying peace and non-violence, aligning closely with the principle of ahimsa that lies at the heart of Indian thought, and is often described in scriptures as a living abode of divine energies, making its protection and care a sacred duty rather than a social choice.

The concept of "Gau Sampada," or the wealth represented by cows, extends this idea into the realm of societal prosperity, suggesting that true wealth is not merely material accumulation but the presence of sustainable, life-supporting systems that nourish both people and the environment, a perspective that remains strikingly relevant in an age grappling with ecological imbalance and unsustainable practices.

The cow's role in supporting agriculture, maintaining soil fertility through natural means, and sustaining rural livelihoods exemplifies a harmonious cycle where human survival is intricately connected with the well-being of other living beings, reinforcing the ancient Indian ideal of coexistence rather than domination over nature. Moreover, the cultural reverence for the cow reflects a deeper ethical sensibility that values compassion, restraint, and recognition of interdependence, qualities that define not only individual character but also the moral fabric of a society, reminding us that the measure of civilization lies in its ability to honor and protect the gentle and life-sustaining forces around it.

In this continuum, Kamdhenu stands as an eternal archetype, elevating the cow from a physical being to a spiritual ideal that inspires humanity to cultivate gratitude, humility, and a sense of responsibility toward the natural world, serving as a reminder that abundance is not created through exploitation but through harmony and respect. Thus, the cow in Indian culture is not merely an animal of utility but a living embodiment of motherhood, a symbol that integrates the physical, emotional, ecological, and spiritual dimensions of life into a unified vision, urging society to uphold values that sustain both human existence and the broader web of life, and in doing so, preserving a timeless tradition that continues to offer guidance in navigating the complexities of the modern world.

हार्दिक निवेदन

सभी गोभक्त–गोप्रेमी बंधुओं से करबद्ध अनुरोध है कि वे इस पत्रिका का सदस्य अवश्य बनें और अन्य गोभक्तों को भी सदस्य बनायें। कृपया सभी लोग अपना वार्षिक अथवा आजीवन सदस्यता शुल्क निम्नलिखित बैंक व खाता नंबर में जमा कराएं –

पंजाब नेशनल बैंक, बसंत लोक, नई दिल्ली

खाता नम्बर – 04072010038910 IFSC CODE : PUNB0040710

नोट – शुल्क "भारतीय गोवंश रक्षण संवर्द्धन परिषद" के नाम पर जमा करें। सम्पर्क सूत्र : 011.26174732

punjab national bank
...the name you can BANK upon!

अब आप यूपीआई के माध्यम से भी पत्रिका का शुल्क जमा कर सकते हैं

SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP

9958710672m@pnb

MERCHANT: BHARTIYA GOVANSH RAKSHAN SAMVARDHAN PARISHAD

BHIM | UPI
BHARAT INTERFACE FOR MONEY | UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

मुख्यमंत्री से भेंट

दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र का गौ–अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के विषय में श्री मिलिंद परांडे जी अखिल भारतीय संगठन महामंत्री विहिप एवं सुबोध चंद्र जी दिल्ली प्रान्त संगठन मंत्री विहिप एवं राजेंद्र प्रसाद सिंघल जी केन्द्रीय टोली सदस्य गोरक्षा, विहिप ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार से भेंट की।

पटना। विहिप, गोरक्षा विभाग के पदाधिकारी श्री त्रिलोकी नाथ बागी जी ने अन्य पदाधिकारियों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से भेंट की। उन्होंने बकरीद के अवसर पर गोवंश–हत्या रोकने के संदर्भ में उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा।

हैदराबाद। विहिप, गोरक्षा विभाग, तेलंगाना के एक प्रतिनिधिमंडल ने गत माह तेलंगाना के राज्यपाल मा. शिवप्रताप शुक्ल जी से भेंट कर राज्य में बकरीद के अवसर पर गोवंश–हत्या रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

पदमेश गुप्ता को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार

गो–विज्ञान अनुसंधान केंद्र, देवलापार, नागपुर के अध्यक्ष पदमेश गुप्ता जी को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया।

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6"
Email : gosampada@gmail.com
website : www.vhp.org

Registered No. DL-SW-01/4027/24-26
RNI No. 69508/98 प्रस्तुति : 13–14
प्रकाशन तिथि : 11 जून, 2026

प्रकाशक व मुद्रक राजेन्द्र प्रसाद सिंहल ने रायल प्रेस,
बी 81, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित कर भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद् (विहिप)
संकटमोचन आश्रम, सेक्टर-6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22 के लिए प्रकाशित की। संपादक - देवेन्द्र नायक